

/249708/2024

**कार्यालय**  
**प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,**  
**वन विभाग, हरियाणा सरकार,**

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक : ई0 / 324  
सेवा में

दिनांक : 15-5-2024

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
पर्यावरण, वन तथा वन्य प्राणी विभाग,  
चण्डीगढ़ ।

विषय: **Diversion of 0.0993 ha. (instead of 0.1852 ha.) of forest land for access to the proposed retail outlet of BPCLtd. Along Ambala-Chandigarh (NH 152) at village Kakru under Forest Division & District Ambala Haryana.(FP/HR/Approach/149102/2021)- Reg.**

----

विषयोक्त प्रस्ताव में भारत सरकार के पत्र क्रमांक 9-HRB170/2023-CHA दिनांक 17.11.2023 द्वारा लगाई गई आपत्ति का उत्तर निम्न प्रकार से भेजा जाता है:-

Sr. No.	Queries raised by IRO	DFO Reply/Remarks
1	DFO informed in his SIR uploaded at para 15 in part II and at para 11 of part II that user agency started the work before obtaining approval under FC 1980. The State Govt. is requested to take immediate action under FC, 1980 as per guideline para 1.21 (ii) and submit detailed action taken report at the earliest.	DFO Ambala vide letter No. 2443 dated 22.02.2024 (copy enclosed) has sent detail violation report/action taken report and informed that violation of FCA, 1980 was done by User agency and in respect of violation DR No. 087/0083 dated 02.08.2022 was chalked under section 32, 33 of IFA, 1927 and amount of fine was also got deposited by user agency (copy enclosed).
2	Diversion area of the project is 0.1852 ha., which is not as per the guideline of MoRTH. In all approach access cases for roadside establishment, approach access is granted 70m/100m for acceleration & deceleration, whereas the UA proposed it as 192m. The State Government is requested to revise the proposal as per guideline of MoRTH to save the 37 felling of trees.	Now, user agency has submitted a revised proposal online for diversion of 0.0993 ha. forest land as per revised layout wherein only 12 tree are involved. Accordingly, DFO has also uploaded revised CA scheme/checklist/undertaking/Marking List on portal.
3	Undertaking to deposit Additional Compensatory afforestation levies	Undertaking to deposit Additional Compensatory afforestation levies has also been uploaded under additional information in Part-II online.

कृपया प्रस्ताव भारत सरकार को भेजकर स्टेज-1 स्वीकृति जारी करवाने का कष्ट करें।

संलग्न/उपरोक्त

Signed by  
Tajinder Pal Singh

Date: 14-05-2024 13:49:47

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ०सी०ए०)  
हरियाणा, पंचकुला ।

CFNS - FRT 1505/2024 - 2387



वन विभाग, हरियाणा सरकार ।

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, अम्बाला वन मण्डल, अम्बाला शहर ।

फ़ॉरेस्ट काम्प्लैक्स, कम्पनी बाग, विकास विहार के सामने, अम्बाला शहर, दूरभाष 0171-2550916

दिनांक: 22/2/2024

क्रमांक: -2443

सेवा में,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0),  
हरियाणा पंचकुला ।

विषय:

**Diversion of 0.0993 ha. of Forest Land in favour of BPCL for access to New Retail outlet at Village Kakru (WML) on Ambala-Chandigarh NH 152 in RDKM 09.162 LHS Khasra No. 20//11/2, 19/2/2, 20/2, 19//15/2, 16, 14/1, 17, 24/4. Tehsil Ambala Cantt. Distt. Ambala under Forest Division & Distt. Ambala Haryana. Proposal No. FP/HR/Approach/149102/2021**

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपकी सेवा में सूचित किया जाता है कि M/s BPCL द्वारा प्रस्तावित स्थल पर 0.1852 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य के प्रयोग की स्वीकृति हेतू Proposal No. FP/HR/Approach/149102/2021 के माध्यम से प्रस्ताव आनलाईन समिट किया गया था, लेकिन भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ के पत्र क्रमांक 9HRB 170/2023 CHA दिनांक 17.11.2023 द्वारा दिए गए आदेशानुसार प्रस्तावित स्थल पर 0.0993 है0 वन क्षेत्र का गैर वानिकी कार्य के प्रयोग की स्वीकृति हेतू सशोधित प्रस्ताव आनलाईन समिट किया गया है। प्रस्तावित स्थल पर 12 पेड़ जिसका वाल्युम 1.67 घ0मी0 नष्ट होंगे। जो स्वीकृति उपरान्त कटवाए जाएंगे।

उक्त केस में प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि 57133/-रु0, एन0पी0वी0 राशि 95108/-रु0 फौलिंग चार्जिंग राशि 2004/-रु0, सहित कुल 154245/-रुपये की राशि प्रयोक्ता एजैन्सी से प्राप्त की जाएगी। प्राप्त राशि से प्रतिपूर्ति पौधारोपण रतौर सैक्शन 4 व 5 में 120 पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रस्तावित स्थल पर प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 की उल्लंघना की गई थी। जिस बारे प्रयोक्ता एजैन्सी के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 सैक्शन 32, 33 के तहत वन अपराध रिपोर्ट नं0 087/0083 दिनांक 02.08.2022 जारी करते हुए जुर्माना राशि प्राप्त की गई है। प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत दिए गए प्रपत्रों, अन्य आवश्यक प्रपत्रों को आनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से आपके कार्यालय को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

वन मण्डल अधिकारी,  
अम्बाला वन मण्डल,  
अम्बाला ।

दिनांक:-

पृ0 क्रमांक:-

एक प्रति निम्न को:-

- 1 मुख्य वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल, अम्बाला को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 2 वन राजिक अधिकारी, अम्बाला को उनके पत्र क्र0 1120 दि0 07.02.2024 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
3. M/s BPCL, Vill. Alamgir, P.O Tiwana, Lalru, Tehsil Derabassi, Distt. Mohali, Punjab को सूचनार्थ प्रेषित है।

वन मण्डल अधिकारी,  
अम्बाला वन मण्डल,  
अम्बाला ।



**Full Title of the Project** Diversion of 0.0993 ha. of Forest Land in favour of BPCL for access to New Retail outlet at Village Kakru (W/L) on Ambala-Chandigarh NH 152 in RDKM 9-10 LHS Khasra No. 20//11/2, 19/2/2, 20/2, 19//15/2, 16, 14/1, 17, 24/4. Tehsil Ambala Cantt. Distt. Ambala under Forest Division & Distt. Ambala Haryana.

**Online Proposal No.:** FP/HR/Approach/149102/2021

**Date of Proposal :** 10.11.2021

**CHECK LIST SERIAL: NUMBER -19**

**DETAILED REPORT ON VIOLATION OF PROVISIONS OF FOREST ACTS**

- a) The extent (in *hectare*) of forest land broken/encroached and the number of trees illicitly felled. **240 Sqm.**
- b) The name and designations of the officials/persons who are prima-facie responsible for the contravention of the provisions of the Act, supported by requisite documents. **Sh. Rajan Sachdeva S/o Sh. Manohar Sachdeva, H.No. 68 Sec. 9, Ambala City.**
- c) In case, it is not possible to fix the responsibility for commission/omission of any action leading to violation of the provisions of the Act, full explanation with relevant supporting documents to be appended. **NIL**
- d) Details of action taken by the DFO against illicit felling/encroachment/illegal mining, etc., under the provisions of IFA-1927/PLPA-1900/ other State Forest Acts, etc. **F.O.R No. 087/0083 dated 02.08.2022 ( Copy Attached) is chalked.**

Date:- 22-2-2024  
Place:- Ambala

Divisional Forest Officer,  
Ambala Forest Division,  
Office Seal-----  
Ambala, 2/8



CR No = 8A/2022/23



# वन अपराध रिपोर्ट

वन विभाग, हरियाणा सरकार

0033

FOR No. 287

अपराध का प्रकार	जब्त का कारण
अपराध का स्थान	जब्त का कारण
अपराध का नाम	अपराध का नाम
FOR No. (Date, Day & Time)	अपराध का नाम
अपराध कराने वाले का नाम	अपराध का नाम
अपराध की जानकारी का स्रोत	अपराध का नाम
अपराध होने के तारीख/दिन/समय	स्वयं द्वारा गस्त/मुखबीर द्वारा/शिकायत
अधिकारी का नाम व पद	अपराध का नाम
अपराध घटना का विवरण संलग्न	अपराध का नाम
उपस्थान किया गया अधिनियम	नहीं/यदि हां तो पृष्ठ संख्या
भारतीय वन अधिनियम 1927	संख्या
वन प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972	32/33
पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम 1900	
भारतीय दण्ड संहिता	

अपराधी का विवरण	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता
	राम लाल	श्री राम लाल	49	जाति	82-69
				Sec-9	

जब्त वन उपज का विवरण	जब्त किये गये सामान का विवरण				
	प्रजाति	किस्म/साइज	संख्या	मुल्य	मुआवजा राशि

जब्त वहीकल का विवरण	प्रकार	रजिस्ट्रेशन नं०	रंग	मॉडल	उत्पादन वर्ष

आंजार/हथियार	अन्य, यदि कोई हो				
	नजरी-नक्शा जी०पी०एस० रीडिंग सहित	संलग्न किया है/तैयार नहीं किया गया	यदि हां तो पृष्ठ संख्या		
	फोटोग्राफ	संलग्न/तैयार नहीं किया गया			
	विडियोग्राफी	संलग्न/तैयार नहीं किया गया			

R.O.A.C.

मुखबीर/शिकायतकर्ता/गवाह के हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान  
 आरोपी का हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

**Divisional Forest Officer,**  
**Ambala Forest Division,**  
**Ambala.**

वीट इन्चाज  
 व० रा० अ०  
 नाम  
 दिनांक 21/5/22